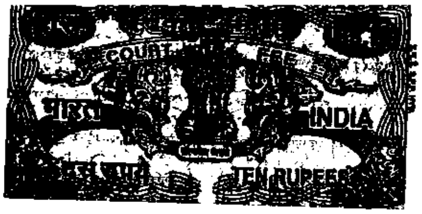

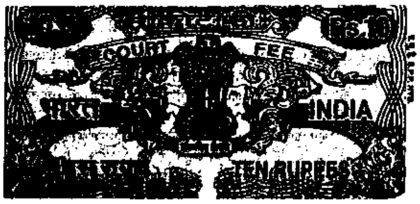

निगरानी प्र. क्र. : /2016–17
प्रस्तुति दिनांक : 19/09/2017

<u>माननीय न्यायालय अध्यक्ष महोदय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल, ग्वालियर के समक्ष</u>

PBR/निग/इंदौर/भू.रा./2017/3558

बंद्रीलाल पिता हीरालाल
निवासी – ग्राम अजनोद तहसील सांवेर जिला इंदौर

<u>– – –अपीलार्थी/निगरानीकर्ता</u>

वि रू द्ध

भगवान पिता अम्बाराम
निवासी – ग्राम बरोदा अर्जुन टप्पा शिप्रा
तहसील सांवेर जिला इंदौर

<u>– – –प्रत्यर्थी</u>

निगरानी आवेदन पत्र म.प्र.भू–राजस्व संहिता की धारा 50 तथा 32 के अंतर्गत

श्रीमान न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, इंदौर के द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 498/16–17 में पारित आदेश दिनांक 18/09/2017 से व्यथीत एवं दुःखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत करना हुआ है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.रा./17/3558 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.9.2017	उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–9–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, इसलिये अब उन्हें सुना नहीं जा सकता है । अपर आयुक्त द्वारा इस निष्कर्ष के साथ उक्त आपत्ति निरस्त की गई है कि पूर्व की कार्यवाही में अनुपस्थित रहने पर भी पश्चात्वर्ती कार्यवाही में पक्षकार उपस्थित हो सकता है । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा ली गई यह आपत्ति भी कि अपीलार्थी द्वारा अपील में पिता के नाम को बदला है । इस निष्कर्ष के साथ निरस्त की गई है कि अनावेदक द्वारा गुणदोष पर सुनवाई के समय इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी । अपर आयुक्त द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही प्रथमदृष्टया वैधानिक एवं उचित है । इसके अतिरिक्त अपर आयक्त पूर्व में जारी स्थगन आगामी पेशी तक बढाया गया है जिसमें भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रथमदृष्टया परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	